राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक F1(6)त०शि०/99 जयपुर, दिनांक ~~~16

आदेश

विषयः– 'अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियो को राज्य में स्थित समस्त अभियात्रिकी महाविद्यालय/पॉलोटेक्निक/एम.सी.ए./प्रबन्धकीय आदि शैक्षणिक संस्थानो में संचालित समस्त सर्टिफिकेट स्नातक एवं स्नाकोतर में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा– बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे –

"राज्य में स्थित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो यथा–इंजीनियरिंग/पॉलोटेक्निक/प्रबंधकीय/एम.सी.ए. आदि में संचालित सर्टिफिकेट, स्नातक एवं स्नाकोतर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो से भरा जा सकेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2011 के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 19.06.2013 से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा के संबंध में जारी आदेश यथावत लागू रहेगे।

स्पष्टीकरण– "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहें है, का स्पष्टीकरण शामिल करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव